

बुधवार

दिनांक :- 27-12-2017

### शांति भंग करने के 23 आरोपी गिरफ्तार :-

नैमीचन्द्र पु०नि० थानाधिकारी थाना कोतवाली स०मा० ने 1. विजय पुत्र हसराज बैरवा 2. हरिशंकर पुत्र ओमप्रकाश कन्डेरा 3. लखपत मीना को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार संतोषीलाल हैड कार्नि 19 थाना बौली ने रघुराज पुत्र किशनसिंह उम्र 28 साल निवासी चौथ का बरवाडा जिला स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार पूरणचन्द उ०नि० थाना मलारना डूंगर ने 1.श्री रामप्रसाद पुत्र कानाराम उम्र 35 साल जाति मीना निवासी सरुपुरा थाना रामगढ पचवारा जिला दौसा 2 श्री सुशील पुत्र नेतराम उम्र 23 साल जाति प्रजापत निवासी नरखेडा मुराडावाड थाना मुण्डापाण्डे 3 श्री सत्यपाल पुत्र चिरंजी जाटव उम्र 25 साल निवासी नरखेडा मुराडावाड थाना मुण्डापाण्डे जिला मुरादाबाद युपी 4 श्री लल्लु पुत्र मंगल राम जाति माली उम्र 36 साल निवासी अंधा कुआ थाना लालसोट जिला दौसा को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार अतरसिंह हैड कार्नि 29 थाना मलारना डूंगर ने 1 भरतलाल पुत्र रामफूल जाति मीना उम्र 35 साल निवासी दिवाडा 2 राजूलाल पुत्र विजयाराम मीना उम्र 30 साल निवासी दिवाडा 3 दिलखुश पुत्र गज्जीराम उम्र 19 साल निवासी दिवाडा 4 विजयाराम पुत्र चन्दा मीना उम्र 60 साल निवासी दिवाडा 5 रामराज पुत्र घमण्डीलाल मीना उम्र 24 साल निवासी दिवाडा थाना मलारना डूंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार राधेश्याम स०उ०नि० थाना खण्डार ने रामनिवास पुत्र कानाराम जाति माली उम्र 35 साल निवासी आमलीपाडा खण्डार थाना खण्डार जिला सवाईमाधांपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार हनुमान प्रसाद हैडकार्नि 10 थाना वाटोदा ने रामसिंह पुत्र श्री मगनलाल जाति मीना उम्र 20 साल निवासी कांजी कोण्डली थाना बाटोदा 2. हेमराज पुत्र श्री बबलू जाति मीना उम्र 19 साल निवासी पढाना थाना सूरवाल को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार अजीत उ०नि० थानाधिकारी थाना वी०कला 1. गुमान सिंह पुत्र रमेश चन्द जाट उम्र 20 साल व 2. ज्ञान सिंह पुत्र बाबूलाल जाट उम्र 24 साल निवासी अक्षयगढ को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार रोहित चावला पु०नि० थानाधिकारी थाना खण्डार ने 1.देवीशंकर पुत्र जानकीलाल जाति माली उम्र 20 साल निवासी बोहना थाना खण्डार 2. रामरूप पुत्र सम्पत जाति मीना उम्र 30 साल निवासी बडौद थाना खण्डार 3.बन्टी उर्फ विजयसिंह पुत्र रामभरत जाति मीना उम्र 20 साल निवासी बडौद थाना खण्डार 4. बृजराज पुत्र कजोड जाति मीना उम्र 19 साल निवासी मण्डावरा थाना अलीगढ जिला टोंक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार राजरोषी हैडकार्नि 01 थाना चौथ का बरवाडा ने लक्ष्मण पुत्र श्री श्योजीलाल जाति गुर्जर उम्र 32 साल निवासी पीपल्या थाना चौथ का बरवाडा स०मा०को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

### शराब पीकर वाहन चलाते 06 आरोपी गिरफ्तार :-

नैमीचन्द्र पु०नि० थानाधिकारी थाना कोतवाली स०मा० ने 1. पीयूष गोतम 2. कृष्णगोपाल उफ बबलू 3. लोकेश मीना 4. राजू मीना 5. रविन्द्र 6. हार्सिंह जादौन को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

### स्थायी वारंटी गिरफ्तार :-

जीतराम कानि० 975 थाना बौली ने फरार स्थायी वारंटी मुकेश पुत्र रामनिवास मीना निवासी बडागाँव सरवर थाना बौली को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्रीमान जे०एम० साहव बौली के द्वारा केस नं० 331/10 धारा में स्थायी वारंट जारी किया गया था।

### दर्ज मुकदमात का एक आरोपी गिरफ्तार :-

मुरारीलाल हैडकार्नि 26 थाना बजीरपुर ने दर्ज मुकदमात के आरोपी श्री लक्ष्मण पुत्र श्री रमसैया जाट उम्र 45 साल निवासी शेखपुर थाना वजीरपुर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्रीमति रेशम पत्नी शम्भू जाति जोगी निवासी खरेडा वजीरपुर ने दिनांक 26.07.2017 को थाना वजीरपुर पर मु० नं० 245/17 धारा 9,10 गो बंश अधिनियम 1995 व 429 ता०हि० में दर्ज कराया था।